Ofcms 2025/59

Form No. III

APP-A

Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत......उपखण्ड अधिकारी......मुकाम......कोटा......

......सरकार......बनाम......मीनाक्षी......

किस्म मुकदमा......136 L.R. Act......नं. ......10......सन्......2025......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
10/2/25	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना–पत्र पर बहस कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक ......25/2/25...... को पेश हो।	
25/2/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम घघटाना के खाता संख्या 96 में खसरा नं0 1006/928 रकबा 0.29 है0 में से मीनाक्षी उम्र 29 वर्ष पत्नि श्री ओम प्रकाश जाति गुसाई निवासी 123 मस्जिद के पास घघटाना द्वारा 0.16 है0 आराजी जर्ये विक्रय पत्र दिनांक 06.05.2024 क्रय की गई। खसरा नं0 1006/928 हिस्सा 13/29 का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से मीनाक्षी पत्नि ओम प्रकाश के द्वारा दिनांक 08.01.2025 को क्रय किया गया। खसरा नं0 1006/928 नामा0 सं0 807 दिनांक 08.01.2025 जर्ये रजिस्ट्रीकरण बेचान द्वारा मीनाक्षी पुत्री ओम प्रकाश हिस्सा 13/29 दर्ज किया गया। जबकि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.05.2024 में क्रेता का नाम मीनाक्षी पत्नि ओमप्रकाश दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं राजस्व रिकॉर्ड की भिन्नता एवं दोहरी प्रविष्टि को सही करने के लिए उक्त जमाबन्दी में मीनाक्षी पुत्री ओमप्रकाश हिस्सा 16/29 व मीनाक्षी पत्नि ओमप्रकाश हिस्सा 13/29 के स्थान पर मीनाक्षी पत्नि ओमप्रकाश हिस्सा पूर्ण दर्ज किया जाना उचित है। अतः उक्त प्रविष्टियों को दुरूस्त करने के आदेश करने की क्षेत्राधिकारिता श्रीमान न्यायालय को है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर उक्त शुद्धि की जावें। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज एवं विक्रय पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में कथन किया है कि उक्त जमाबन्दी में मीनाक्षी पुत्री ओमप्रकाश हिस्सा 16/29 व मीनाक्षी पत्नि ओमप्रकाश हिस्सा 13/29 के स्थान पर मीनाक्षी पत्नि ओमप्रकाश हिस्सा पूर्ण दर्ज किया जाना उचित है। उक्त इन्द्राज ऑनलाईन म्यूटेश प्रक्रिया द्वारा हुआ, जो त्रुटी पूर्ण एवं विक्रय पत्र के विपरीत है। प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर ग्राम घघटाना के खाता संख्या 96 में खसरा नं0 1006/928 रकबा 0.29 है0 मीनाक्षी पुत्री ओमप्रकाश हिस्सा 16/29 व मीनाक्षी पत्नि ओमप्रकाश हिस्सा 13/29 के स्थान पर मीनाक्षी पत्नि ओमप्रकाश हिस्सा पूर्ण दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो	